न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 694 / 15

संस्थित दिनाँक-18.09.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

- राजेशसिंह पुत्र मुलेसिंह गुर्जर उम्र 30 साल
- भूरा उर्फ भूरेसिंह पुत्र मुलूसिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासीगण दिलीपसिंह का पुरा
- A Fafera पिंकी पुत्र रामचित्र गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम क्अरपुर थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

.....अभियुक्तगण

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 09.09.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 327, 327/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.08.15 को शाम 5:30 बजे पहाड डांग नाका के पास बंजारे का पूरा के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियाी रामवीर से शराब पीने के लिए अवैध रूप से रूपये उद्यापित करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में फरियादी द्वारा मना करने पर सह अभियुक्त राजेश द्वारा मानव दांतों से स्वेच्छा काटकर उपहति कारित की।

- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो 2. जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 327, 327/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.08.15 को शाम करीब 5:30 बजे फरियादी रामवीर अपने साथी जीतू शर्मा के साथ रिश्तेदारी में डांग पहाड जाने के लिए रोड के बगल में खडा था तभी अभियुक्तगण आए और मादरचोद बहनचोद की गालियां देकर बोले कि शराब पीने के लिए पैसे दो। जब फरियादी ने मना किया तो भूरा तथा पिंकी ने उसकी जेट भर ली अर्थात जकड लिया तथा राजेश ने उसके बाए हाथ की गदेली में काट लिया। जीतू शर्मा व थानसिंह ने

बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 184/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
 1.क्या अभियुक्तगण ने 02.08.15 को शाम 5:30 बजे पहाड डांग नाका के पास बंजारे का पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियादी रामवीर से शराब पीने के लिए अवैध रूप से रूपये उद्यापित करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में फरियादी द्वारा मना करने पर सह अभियुक्त राजेश द्वारा मानव दांतों से स्वेच्छा काटकर उपहति कारित

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 1, रामवीर अ०सा० 2, जितेन्द्र अ०सा० 3 व थानसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी रामवीर अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य से दो साल पहले शाम के समय की है। उनका आरोपीगण से मुंहवाद तथा धक्कामुक्की हो गयी थी जिसकी उन्होंने थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट और नक्शामौका पर अंगूठा निशानी लगाना बताते हैं। साक्षी पुलिस द्वारा मेडीकल कराए जाने का भी कथन करते हैं, इसके अलावा और कुछ न होना बताते हैं। फरियादी द्वारा उसके मुख्य अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा किसी प्रकार के उद्यापन किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने उससे शराब पीने के लिए रूपये मांगे व मना करने पर भूरा तथा पिंकी ने जेट भर ली तथा अभियुक्त राजेश ने उसकी बाए हथेली पर काट लिया। साक्षी पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 तथा पुलिस कथन प्र०पी० 4 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर अवैध रूप से शराब के लिए रूपये की मांग करने तथा मना करने पर मारपीट करने के तथ्यों को लिखाए जाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से स्वयं आहत द्वारा अभियुक्तगण के अपराध से इंकार करने पर अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

- 8. प्रकरण में घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी जितेन्द्र अ0 सा0 3 एवं थानसिंह अ0सा0 4 दोनों ही उनके सामने कोई भी घटना घटित होने तथा पुलिस को कोई भी कथन दिए जाने से इंकार करते हैं। साक्षियों को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षियों द्वारा सूचक प्रश्नों में उनके पुलिस कथन कमशः प्रण्पी० 5 व 6 के विनिर्दिष्ट भाग के तथ्य लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। इस प्रकार से किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण की कथित आरोप के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। डा० धीरज गुप्ता द्वारा दिनांक 02.08.15 को आहत रामवीर को परीक्षण करने पर उसके बाए हाथ के मेटाकार्पल बोन के आधार से अंगूठे तक दांतों से काटने का निशान पाए जाने का कथन करते हैं। आहत रामवीर द्वारा कथित चोट के संबंध में अपने सूचक प्रश्नों में यह कथन किया है कि घटना दिनांक को सुबह कुटी मशीन अर्थात जानवरों के चारा काटने की मशीन से उसके हाथ में चोट आई थी जिसकी डाक्टरी हुई थी। उक्त तथ्य को अभियोजन के द्वारा खण्डित नहीं कराया जा सका है। इस प्रकार से फरियादी द्वारा उसकी चोट के संबंध में स्पष्टीकरण से अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप का लेशमात्र भी समर्थन नहीं होता है।
- 9. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि फरियादी से अभियुक्तगण का राजीनामा हो गया है इस कारण से उसके द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि फरियादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है किन्तु फरियादी ने राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने का सुझाव अरवीकार किया है। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। वह अटकलों या कल्पनाओं के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के लिए दावा नहीं कर सकता है। जहां तक प्राथमिकी एवं पुलिस कथन का प्रश्न हैं तो वे सारवार साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में संपुष्टि अथवा खण्डन के लिए किया जा सकता है। अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 02.08.15 को शाम 5:30 बजे पहाड डांग नाका के पास बंजारे का पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियाी रामवीर से शराब पीने के लिए अवैध रूप से रूपये उद्यापित करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में फरियादी द्वारा मना करने पर सह अभियुक्त राजेश द्वारा मानव दांतों से स्वेच्छा काटकर उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 327/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 11. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अवधि हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM PRICION SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश